[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 13th June, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 13th June, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

SI.No.	Sections
1.	Section 22;
2.	Section 24;
3.	Section 25;
4.	Section 26; and
5.	Section 71.

[File No. 1 /1/2018-CL.I]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिस्चना</u>

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 13 जून, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् -

क्र.सं.	धाराएं	
1	धारा 22;	
2.	धारा 24;	
3.	धारा 25;	
4.	धारा 26; और	
5.	धारा 71	

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.।]

के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार